

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 73
No. 101]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SRAVANA 17, 1936	[N.C.T.D. No. 73

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं.फां. 6/08/2014—न्याय/Suptlaw/822-828.— गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की दिनांक 14 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या यू-11030/4/88—यूटीएल के साथ पठित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (1988 की अधिसूचना संख्या 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 120/2012 शीर्षक मनोहरलाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव एवं अन्य में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25/7/2014 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री भरत पराशर, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को, विशेष न्यायाधीश के रूप में, विशेष रूप से कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निपटान के लिए नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर
डा० सौरभ कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त-सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION

Delhi, the 8th August, 2014

No.6/08/2014-JudL./Suptlaw/822-828 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No. U-11030/4/88-UTL dated 14th February, 1989, and in pursuance of the order dated 25/07/2014 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Crl) No. 120/2012 titled Manoharlal Sharma Vs. The Principal Secretary & Ors, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Mr. Bharat Parashar, an Officer of Delhi Higher Judicial Service, as Special judge to deal and exclusively try the offences pertaining to Coal Block Allocation matters.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi
Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Addl. Secy.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं0फा0 82(865)/आशा किरण/एडी-111/डीएसडब्ल्यू/2013/8328-8332.—आशा किरण परिसर स्थित संस्थाओं/गृहों में भीड़भाड़ कम करने के लिये और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 (1956 का 1) की धारा 56 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आशा किरण परिसर स्थित किशोर गृहों में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके/चुकी मानसिक रूप से मंद और अल्प बुद्धि वयस्क व्यक्ति (पुरुष एवं महिला) की देखभाल और संरक्षण और पुनर्वास करने के लिये निम्न विवरण के अनुसार दो नए गृह /संस्थाएं स्थापित करते हैं:-

क्रम सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	मानसिक रूप से मंद व्यक्ति पुरुष (वयस्क) के लिये आशा दीप गृह	गांधी आश्रम रोड, एम. एल. गर्ल्स स्कूल, नरेला, दिल्ली-110040 के सामने फोन नं0 27785712
2.	मानसिक रूप से मंद व्यक्ति (महिला)(वयस्क) के लिये आशा ज्योति गृह	निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, हरि नगर, नई दिल्ली -110064 फोन सं0 28526089

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
गरिमा गुप्ता, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
NOTIFICATION

Delhi, the 8 August, 2014

F.No. 82(865)/Asha Kiran/AD-III/DSW/2013/8328-8332.—In order to decongest the institutions / homes at Asha Kiran Complex and in pursuance of the provisions of sub section (1) of section-56 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Act, 1995 (1 of 1996), the Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to establish two new homes/institutions for care and protection and rehabilitation of mentally challenged mild and moderate adult persons (male and female) who have attained the age of 18 years in the Juvenile's Homes situated at Asha Kiran Complex as per the details given below:002D007Adz

Sl.No.	Name of the institutions	Place
1.	Asha Deep Home for Mentally Challenged persons for Male (Adult)	Gandhi Ashram Road, In front of M.L. Girls School, Narela, Delhi-110 040 Ph. No-27785712
2.	Asha Jyoti Home for Mentally Challenged persons for Female (Adult)	Nirmal Chhaya Complex, Jail Road, Harinagar, New Delhi. - 110 064 Ph. No-28526089

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of Delhi,
GARIMA GUPTA, Director